



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), 1 करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command)
1, Cariappa Road, Lucknow Cantt - 226002

सं. : सं. एवं प./2927/क्षे.प्र.के./2017-18

दिनांक: 12/01/2018

सेवा में

प्रभारी अधिकारी,

- | | |
|--|---|
| (1) वे.ले.का.(अ.श्रे.) डी आर सी फैज़ाबाद | (4) वे.ले.का.(अ.श्रे.) आर आर सी फतेहगढ़ |
| (2) वे.ले.का.(अ.श्रे.) एस एल आई फतेहगढ़ | (5) संबंधित अनुभाग, मुख्य कार्यालय लखनऊ |
| (3) स्था. ले. प. अ. का.(भंडार) कानपुर | |

विषय: क्षे.प्र.के. लखनऊ प्रशिक्षण: नवनियुक्त लेखा परिक्षकों/लिपिकों का प्रवेश पाठ्यक्रम।

निम्नलिखित लेखा परीक्षकों/लिपिकों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिनांक 29/01/2018 से 23/03/2018 तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया गया है:

क्र.सं.	नाम (श्री)	लेखा सं.	पदनाम	कार्यालय
1	सच्चिदानंद सिन्हा	8341809	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) डी आर सी फैज़ाबाद
2	विकास कुमार	8341810	लिपिक	वे.ले.का.(अ.श्रे.) डी आर सी फैज़ाबाद
3	राहुल कुमार	8341811	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) एस एल आई फतेहगढ़
4	नवाब अली	8341812	ले. प.	मुख्य कार्यालय, र.ले.प्र.नि.(म.क.) लखनऊ
5	विक्रम	8341813	ले. प.	स्था. ले. प. अ. का.(भंडार) कानपुर
6	आशीष कुमार	8341814	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) एस एल आई फतेहगढ़
7	सचिन कुमार	8341818	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) आर आर सी फतेहगढ़

2. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. कर्मचारियों को अपने कार्यालय से कार्य-मुक्त करके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए।
4. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।

व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

प्रतिलिपि:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| (1) प्रशासन 1अ अनुभाग | : | सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। |
| (2) प्रशासन V अनुभाग | : | सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। |
| (3) क्षे. प्र. के. लखनऊ | : | सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। |
| (4) स्वचलन कक्ष | : | कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। |

व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)